कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

जेल सुधार कार्यक्रम

55A, सिद्धार्थ चेंबर – 1, कालू सराये

नई दिल्ली – 110 016

दूरभाष: +91–11–4318 0200

फैक्स +91–11–4318 0217

chriprisonsprog@gmail.com

www.humanrightsinitiative.org

कारागार संदर्शन प्रणाली

एक बंद दुनिया को खोलने की कुंजी

जेल जैसी बंद संस्था में जहां राज्य कैदियों के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है वहां समाज को अंदर जाने देना विशेषकर आवश्यक हैं। सरकारी और नागरिक विज़िटरों के संयोग से बनी कारागार संदर्शन प्रणाली एक निगरानी तंत्र है जो समाज को अंदर जाने का अवसर देती है। यह अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना और उल्लंघनों पर निगरानी रखने की कुंजी है तथा यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि उन लोगों की परिस्थितियों का स्वतंत्र निरिक्षण किया जा रहा है जिनकी सहायता की दुनिया सख्त रूप से नियंत्रित है। सुधार समिति 1836, में की गई सिफ़ारिश के बाद, प्रणाली को 1894 में कारागार अधिनियम में सम्मिलित किया गया। क्योंकि, जेल राज्य क विषय है, धारा 59 (25) सभी राज्यों को अपने 'कारागार में विज़िटरों की नियुक्ति और मार्गदर्शन' के लिए संबंधित जेल मैन्यूअल में नियम निर्धारित करने को कहता है। इसलिए, आज सभी राज्यों ने, कुछ परिवर्तन के साथ, संदर्शक मंडल के साथ कारागार संदर्शन प्रणाली को सम्मिलित कर लिया है।

संदर्शक बोर्ड

सरकारी विज़िटर	गैर सरकारी विज़िटर (एन.ओ.वी.)	गैर सरकारी पदेन विज़िटर
ऐसा व्यक्ति जो अपने सरकारी पद के कारण उस समय में कारागार का संदर्शक बनता है उसे सरकारी विज़िटर कहते हैं। यह सरकारी कार्यालय जेल प्रबंधन और बंदियों के व्यवहार में साझेदार होतें है जैसे कि न्यायपालिका, पुलिस, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, शिक्षा, रोज़गार, उद्योग, कारखाना, खेती।	समाज के आम लोग जिनकी बंदयों के कल्याण और जेल प्रशासन में रूचि हो, एन.ओ. वी. के रूप में नियुक्त किये जाते हैं। आदर्शतः उन्हें डॉक्टर, मनोरोग चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, वकील, अधिवक्ता परिशद के सदस्य, पत्रकार, समाज सेवक, रेड क्रॉस के सदस्य, सेवानिवृत सरकारी अधिकारी और न्यायाधीश होने चाहिए जो बदियों और जेल प्रशासन की प्रभावपूर्ण रूप से सहायता कर सकें।	जिन लोगों को मतदाताओं द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है या स्वायत्तशासी वैधानिक निकायों के सदस्य जिन्हें दुर्बल समूहों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, उन्हें पदेन ग़ैर सरकारी विज़िटर कहते हैं। ऐसे व्यक्ति मंत्री, विधानसभा, संसद, नगर पंचायत, कॉरपोरेशन के सदस्य, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आदि हो सकते हैं।

सी.एच.आर.आई. और जेल सुधार कार्यक्रम के बारे में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में मानव अधिकारों को व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित करना है। सी.एच.आर.आई. का गठन 1987 में राष्ट्रमंडल संस्थाओं द्वारा किया गया था। वर्ष 1993 से इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है तथा इसके कार्यालय अकरा, घाना और लंदन में हैं।

सी.एच.आर.आई. जेल सुधार पर पंद्रह वर्ष से काम कर रहा है। जेल सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर विचाराधीन समीक्षा समितियां और जेल पर्यवेक्षक व्यवस्था को मजबूत करना है। साथ हीं, खासतौर से राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इनका उद्देश्य है कि सुनवाई पूर्व निरोध अनावश्यक न हो। यह कार्यक्रम विदेशी कैदियों के समयपूर्वक पर्यावर्तन की हिमायत एवं शरणार्थियों के कारावास का विरोध करता है।

कार्यक्रम की नियमित गतिविधिया इस प्रकार हैं : तथ्य आधारित शोध तथा उसका पक्ष समर्थन, नीतिगत वकालत एवं न्याय प्रणाली से जुड़े कार्यकर्ता, जैसे की जेल अधिकारी, कल्याण और परिवीक्षा अधिकारी, फौजदारी वकील, मजिस्ट्रेट, विधिक सहायता अधिकारी और सिविल सोसाइटी कार्यकर्ता, का कौशल विकास।

अंतर्राष्ट्रीय मानक

बंदियों के साथ व्यवहार के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने हेतु संयुक्त राष्ट्रीय नियम (मंडेला नियम)

दांडिक सुधार पर यह प्रधान कार्यसाधन नियम 83, 84 और 85 में कारागारों के निरीक्षण की मांग करता है। दांडिक और सुधारात्मक सेवाओं के उद्देश्यों को पूरा करने और बंदियों के अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से – मौजूदा कानूनों, विनियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार कारागारों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए– यह आतंरिक और बाह्य दुहरी प्रणाली की मांग करता है। यह निरीक्षकों को उनकी अपनी इच्छा से इसका चयन करने का अधिकार देता है कि वे किस कारागार का मुआइना करेंगे/करेंगी और खुद अपनी पहल पर अघोषित मुआइना करेंगे/करेंगी। प्रत्येक मुआइना के बाद उन्हें एक लिखित रिपोर्ट पेश करनी होगी और उसपर कार्रवाई की मांग करनी होगी।

महिला कैदियों के साथ व्यवहार के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियम और महिला अपराधियों के लिए गैर– हिरासती उपाय (बैंकाक नियम)

महिला बंदियों के साथ व्यवहार पर केंद्रित एक अनुपूरक कार्यसाधन के रूप में यह, नियम 25 के अंतर्गत निरीक्षण की मांग करता है। यह, अनुचित व्यवहार से संबंधित महिला बंदियों के दावों की जांच स्वतंत्र और सक्षम अधिकारयों द्वारा किये जाने की मांग करता है और निगरानी तथा मुआइना परिषदों में सदस्य के रूप में महिलाओं को स्थान देने का अभिलाषी है। इसके अलावा, यह गोपनीयता के सिद्धांत को प्राथमिकता देता है और अधिकारियों द्वारा प्रतिशोधात्मक कार्रवाई किये जाने के मामलों में संरक्षणात्मक उपायों को अपनाए जाने का आग्रह करता है।

यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टार्चर एंड अदर क्रुएल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट (UNCAT)

(यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन) सदस्य राष्ट्रों द्वारा यातना के निषेध और इसकी रोकथाम की दिशा में कार्यरत यह केंद्रीय कार्यसाधन, अनुच्छेद 17 में निरोध के स्थानों की निगरानी के महत्त्व को मान्यता प्रदान करता है। निरोध के स्थलों पर निगरानी रखने के लिए और इस कन्वेंशन के अनुपालन पर रिपोर्ट मांगने के लिए यह विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति की आवश्यकता का पक्षसमर्थन करता है। यह समिति शारीरिक और मानसिक– दोनों तरह की यातना के विरूद्ध एक निवारक उपाय के रूप में गठित की जाती है। भारत ने यूएनकैट (न्छव्ज्) पर 14 अक्टूबर 1997 को हस्ताक्षर किया था, किन्तु भारत ने इसकी संपुष्टि अभी तक नहीं की है। एक हस्ताक्षरकर्ता की हैसियत से भारत इस कन्वेंशन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, सद्भाव बनाये रखने के लिए, इस संधि के उद्देश्यों और प्रयोजनों को क्षति पहुंचाने वाले क्रिया–कलापों से परहेज करना एक हस्ताक्षरकर्ता का नैतिक दायित्त्व है। इसे केवल मौजूदा संस्थानों को सबल बना कर ही हासिल किया जा सकता है ।

कर्तव्य

1. कारागारों का निरिक्षण
2. कारागार जीवन की समीक्षा
3. पर्यवेक्षकण का प्रलेखन
4. अपराध का निरोध
5. वस्तुगत हालातों का संशोधन
6. बंदियों के परिवाद का समाधान

मुख्य उपकरण

1.	भारत का संविधान, 1951
2.	कारागार अधिनियम, 1894
3.	बन्दी (न्यायालय में हाजिरी) अधिनियम, 1955
4.	बंदियों (कैदियों) का संप्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) अधिनियम, 2003
5.	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1955
6.	कैदियों का हस्तांतरण अधिनियम, 1950
7.	मानसिक स्वास्थ अधिनियम, 1987
8.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
9.	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
10.	राज्यों के कारागार नियम
11.	बंदियों के साथ व्यवहार के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने हेतु संयुक्त राष्ट्रीय नियम (मंडेला नियम), 2015
12.	महिला कैदियों के साथ व्यवहार के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियम और महिला अपराधियों के लिए गैर–हिरासती उपाय (बैंकाक नियम), 2010

उपचार

यातना

क्या कैदियों को मानसिक अथवा शारीरिक पीड़ा या दर्द दिया जाता है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद–20, 21 और 22; भा.द.वि. की धारा–46 और 49

एकांत कारावास: क्या किसी कैदी को विधि द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक एकांत कारावास में रखा गया है?

भा.द.वि. की धारा–73; कारागार अधिनियम की धारा–29 तथा राज्य जेल नियमावली के संगत प्रावधान

सुरक्षा बल का उपयोग और नियंत्रण: क्या कैदियों पर अनावश्यक और अत्यधिक सुरक्षा बल का उपयोग किया गया है?

विभाजन: क्या विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों को अलग–अलग रखा जाता है? क्या पुरुषों और महिलाओं को अलग–अलग रखा जाता है? *कारागार अधिनियम की धारा–27 और 28 तथा राज्य जेल नियमावली के संगत प्रावधान*

दण्ड: क्या दण्ड की तादात अनावश्यक रूप से अधिक है? कारागार अधिनियम का अध्याय–X एवं XI; राज्य जेल नियमावली के संगत प्रावधान

वस्तुगत

भोजन: क्या सब्जियों और अनाजों को विधिवत धोया और पकाया जाता है? क्या भोजन निर्धारित मानकों के अनुसार दिया जाता है? *कारागार अधिनियम का अध्याय–VI और राज्य जेल नियमावली के संगत प्रावधान*

पानी: क्या पानी जमा करने का सुरक्षित तरीका है? क्या इसकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है? क्या इसकी नियमित रूप से जांच की जाती है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद–21

व्यवस्था एवं गतिविधियां

श्रम: क्या कार्य स्थल सुरक्षित है? क्या कार्य का आबंटन करते समय कैदी के स्वास्थ्य पर विचार किया जाता है? क्या कार्य का समय उपयुक्त और मानकों के अनुसार होता है? *कारागार अधिनियम का अध्याय–VII और स्टेट जेल नियमावली के संगत प्रावधान*

परिवार से मुलाकात/संपर्क: क्या कैदियों को उनके परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने दिया जाता है? क्या कैदियों को उनके परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और कानूनी सलाहकारों से नियमित बातचीत करने दिया जाता है? क्या संचार के लिए उपयुक्त एवं मानवीय सुविधाएं हैं? *कैदियों के उपचार पर संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमावली का नियम–58 और स्टेट जेल नियमावली के संगत प्रावधान*

शिक्षा: क्या कैदियों को उनकी शिक्षा जारी रखने या शुरू करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं?

व्यावसायिक प्रशिक्षण: क्या कैदियों को कोई कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धी एवं बाजारोपरक होती है?

मजदूरी: क्या कारागार मजदूरी कार्य की प्रकृति पर आधारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार है?

पढ़ना–लिखना: क्या कारागार में पुस्तकालय है? क्या पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में किताबें हैं? क्या लेखन के लिए इच्छुक कैदी को कलम और कागज मुहैया कराये जाते हैं? क्या कैदियों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार–पत्र मुहैया कराये जाते हैं? *कारागार अधिनियम की धारा–59(27)*

शिकायत निवारण बॉक्स: क्या कैदियों को शिकायत करने अथवा अपनी बात कहने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था की गई है? यदि हां तो क्या यह क्रियाशील है?

पर्यवे क्षे

कमजोर वर्ग

महिलाएं: क्या महिला कैदियों को पुरुष कैदियों से अलग रखा जाता है? क्या महिला कारागारों में शौचालयों अथवा अहाता को नियमित रूप से साफ किया जाता है? क्या महिला कैदियों के आहार उनकी लैंगिक जरूरतों के लिए हितकर होते हैं, खासकर गर्भवतियों के मामले में? *कैदियों के उपचार पर संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमावली (यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स) का नियम–28*

मानसिक बीमारी: क्या मानसिक रूप से बीमार कैदियों का परीक्षण मनोचिकित्सकों और चिकित्साधिकारियों से नियमित रूप से कराया जाता है? क्या मानसिक रूप से बीमार विचाराधीन कैदी रिहाई का पात्र होता है? क्या विचाराधीन कैदी का परिवार नियमित रूप से मिलने आता है? *द.प्र.सं.–1973 की धारा–330*

विदेशी कैदी: क्या कैदी के मूल देश के दूतावास को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी है? क्या उसे दूतावास से संपर्क करने दिया जाता है? क्या उसे उसके अधिकारों के बारे में उस भाषा, जो वह समझता है, में बताया जाता है ? क्या कैदी का परिवार उसकी गिरफ्तारी के बारे में जानता है? क्या कोई विदेशी कैदी अपनी सजा की पूरी कर चुका है? *भारतीय संविधान का अनुच्छेद–21; वियना संधिपत्र का अनुच्छेद–36; कैदियों के उपचार पर संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमावली का नियम–62 तथा राज्य जेल नियमावली के संगत प्रावधान*

विषमलिंगी (ट्रांसजेंडर): क्या विषमलिंगी कैदियों को उनके लिंगीय पहचान के आधार पर रखा जाता है? क्या विषमलिंगी कैदियों ने शारीरिक और मानसिक रूप से बुरा बर्ताव किया? *भारतीय संविधान का अनुच्छेद–14, 15(1), (2), 16(2)*

बाल अपचारी: क्या कारागार में 18 साल से कम आयु वाले बाल अपचारी हैं? क्या उन्हें कठोर अपराधियों के साथ रखा जाता है?

कारागार अधिनियम की धारा–27

प्रवासी कैदी: क्या विचाराधीन प्रवासी कैदी की रिहाई के लिए जमानत की धनराशि अनावश्यक रूप से अत्यधिक है? *द.प्र.स.–1973 की धारा–440*

परिवार से अलग: क्या कोई कैदी है जिसका परिवार उसकी गिरफ्तारी के बारे में नहीं जानता है? पिछली बार कब परिवार ने कैदी से संपर्क किया था?

अल्पसंख्यक समूह: क्या जाति, धर्म, लैंगिक रुचि के आधार पर हिंसा या बुरा बर्ताव होता है?

कारागार कर्मचारी

प्रशिक्षण

क्या एक निश्चित अंतराल पर कारागार के कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है?

कल्याण

क्या कैदियों को उनके कार्य के अनुपात में सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है?

रिक्तियां

क्या जेल अधिकारियों के विभिन्न पद लंबे समय से रिक्त हैं?

क्रमिक विकास

1894

कारागार अधिनियम

धरा 59 (25) को निगमित करके,राज्यों को 'परिदर्शकों की न्युक्ति एवं निर्देशन' पर नियम बनाने का आदेश दिया गया

1965

रनचौड़ बनाम मध्य प्रदेश राज्य

जेल के डॉक्टरों की सुविचारित लापरवाही के कारण एक बंदी की मृत्यू हो गई थी। एन.ओ.वी. की निवारक दायित्वों पर बल देते हुए कहा गया कि यदि उसने बंदी की समस्या से स्वंय को परिचित कराया होता और सुधार की कोशिश की होती तो शायद यह स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती

1981

राकेश कौशिक बनाम बी.एल. विग सुपरिंटेंडेन्ट केन्द्रीय कारागार, नई दिल्ली

एक सत्र न्यायाधीश की विज़िटर के रूप में कार्य पर प्रकाश डाला गया। उसका दायित्व है कि वह जेल के तनाव, आंतरिक हिंसा और बंदियों की समस्याओं से स्वंय को अवगत कराये और उपाय सुझाने के लिए इन विशयों पर पूछताछ करे

1984

मधुकर भवन जम्भाले बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य

कारागार एक सूक्ष्म कुरूप जगत की तरह होता है जहाँ वैधानिकता को वस्तुगत रूप में लाने की जिम्मेदारी न्यायाधीश की है। इसलिए यह उनकी निरंतर जिम्मेदारी होनी चाहिए की वह कारांबधन प्रक्रियाओं का निरिक्षण करे एवं सुरक्षा के नाम पर की जाने वाले अतिक्रमण का निरोध करें।

1988

संजय सूरी बनाम दिल्ली प्रशासन, दिल्ली एंव अन्य

संदर्शक मंडल में समाज के सभी वर्गों के सदस्य होने चाहिए;अच्छी पृश्ठभुमि के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, न्यूज़ मीडिया से संबधित लोग, महिला समाज सेवक, न्यायिक, न्यायपालिका और कार्यपालिका से सेवानिवृत लोक अधिकारी। सत्र न्यायाधीश को विज़िटर के रूप में अभिस्वीकृति वाला पद दिया जाना चाहिए और उनकी विज़िट रूटीन नहीं होनी चाहिए। उनके द्वारा पूरी सावधानी बरतनी चाहिए यह पता लगाने के लिए बंदियों और विचाराधीन बंदियों के प्रति प्रशासन की ओर से क्या कमियां हैं

2003

मॉडल कारागार नियमावली

बंदियों की परिवेदनयों का समाधान करने का जिम्मा परिदर्शकों पर डाला गया

2005

सीताबेन गोवाभाई देसाई बनाम गुजरात राज्य

न्यायिक अधिकारियों द्वारा न केवल आवधिक निरीक्षण बल्कि आकस्मिक निरीक्षण करने का आदेश दिया गया ताकि जेल के रख रखाव और बंदियों की स्थिति में नियमों के पालन की निगरानी की जा सके

2010

माया दारूवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र के उप कारागारों की क्रूर परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए, परिदर्शक बोर्ड के तात्कालिक गठन एवं उनके द्वारा मासिक निरिक्षण करने के आदेश जारी किए गए

2015

सुओ मोटो बनाम राजस्थान राज्य

जेल परिस्थितयों की नियमित रिपोर्टिंग के लिये अशासकीय परिदर्शक की तात्कालिक नियुक्ति एवं परिदर्शक बोर्ड के गठन का आदेश दिया गया

प्रणाली का

1836

पहली सुधार समिति

संक्रामक रोग के फैलाव को रोकने एवं उचित ढंग से टीका लगने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक निरिक्षण की संस्तुति की गई

1919

कार्डियू (Cardew) समिति

अशासकीय परिदर्शकों की महत्ता एक प्रशिक्षण मंच की तरह बतायी जहां जन साधारण जेल की समस्याओं को समझने एवं जेल व कैदियों में रूचि लेने में सहायक है

1980

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन

विज़िटर की शक्तियों पर बल देते हुए कहा गया कि विभिन्न सामाजिक पृश्ठभूमि और न्यायिक अधिकारियों को बंदियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल प्रशासनिक परिवेदना निवारण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए

1983

मुल्ला समिति

कैदियों के कल्याण एवं सरक्षण और जेल प्रशासन के विषयों को परिदर्शकों के कर्तव्यों के दायरे में शामिल किया गया

1986

शीला बर्से एंव अन्य बनाम भारत गणराज्य एंव अन्य

विज़िटरों को नियुक्त करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक जेल में बंद सिद्धदोशियों और विचाराधीन बंदियों का संबंध है नियम के प्रावधानों को कठोरता पूर्वक माना जा रहा है

1997

रामामूर्थी बनाम कर्नाटक राज्य

विज़िटरों को सलाह दी गई कि निरीक्षण न्यूनतम सूचना पर की जानी चाहिए ताकि सच्चाई ज्ञात हो सके। बंदियों द्वारा किसी शिकायत पर पूरी सहायता का आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उसे शिकायत दर्ज करने के कारण किसी बुरे परिणाम को नहीं भुगतना पड़ेगा

1999

रसिकभाई रामसिंह राणा बनाम गुजरात राज्य

संदर्शक मंडल को "मानवीय पद्धति के साथ मन में व्यवहारिक फॉर्मुला" कहा गया, "एक प्रभावकारी प्रशासनिक समाधान" और स्थायी कार्यवाहक व्यवस्था...जो व्यवस्था में प्रभावकारी कार्यान्वयन को लगातार मॉनिटर करने वाला है

2010

मास्टर जिथू बनाम तमिलनाडु राज्य

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सत्र न्यायाधीश की शक्तियों का उपयोग आकस्मिक विज़िट द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि किशोरों को व्यस्क बंदियों के साथ नहीं रखा जाए

2011

गृह मंत्रालय सलाहकारी सं. F-N- 16014/4/2005&PR

अशासकीय परिदर्शकों की नियुक्ति एवं कार्यकारी पर दिशा–निर्देश जारी किये गये

स्थिति

सफाई व्यवस्था: क्या शौचालयों एवं स्नानागारों की पर्याप्त संख्या है? क्या वहां साफ पानी की आपूर्ति होती है? क्या उन्हें नियमित रूप से साफ किया जा रहा है? क्या शौचालयों और स्नानागारों में दरवाजे हैं?

स्वच्छता अभियान: क्या जल निकासी व्यवस्था उपयुक्त है और उसे नियमित रूप से साफ किया जाता है? *कैदियों के उपचार पर संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमावली का नियम–18*

केस प्रबंधन

अदालत में पेशी: क्या कैदियों को समय पर अदालत में पेश किया जाता है? *द.प्र.सं–1973 की धारा–167(2) और 309; कैदी (अदालतों में पेशी) अधिनियम–1955 की धारा–9 एवं राज्य की संगत नियमावलियां*

सचल सुरक्षा दस्ता और उनके वाहन: क्या कैदियों को अदालत ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में सचल सुरक्षा दस्ता होते हैं? *कैदी (अदालतों में पेशी) अधिनियम–155 की धारा–9 और राज्य के संगत प्रावधान*

अपीलें: क्या अपीलें समय पर दर्ज हो रहीं है ?

विधिक सहायता: क्या कैदियों के पास अधिवक्ता हैं? यदि नहीं तो क्या विधिक सहायता प्रदान करने वाले अधिवक्ता उनके लिए नियुक्त किया गया हैं? क्या अधिवक्ता कैदियों को सभी आदेशों की प्रतियां मुहैया कराता है? क्या अधिवक्ता नियमित रूप से अपने मुवक्किल कैदी से मिलने आता है? क्या ऐसे मुलाकातों को दर्ज करने के लिए पंजिका की व्यवस्था है? क्या कारागार में कानूनी सहायता केंद्र (क्लिनिक) बनाया गया है? क्या कारागार में कानूनी सहायता केंद्रों का संचालन करने के लिए कानूनी सहायता प्रदाता स्यवयंसेवकों (पैरालीगल वालंटियर्स) की नियुक्ति की गई है? *भारतीय संविधान का अनुच्छेद–39ए तथा नालसा (लीगल एड क्लीनिक) विनियम–2011*

विचाराधीन कैदी: क्या कोई विचाराधीन कैदी अनावश्यक रूप से कारागार में है या रहा है? क्या कोई विचाराधीन कैदी ऐसा है जो अपने उपर लगी धारा के तहत निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरा कर चुका है? क्या आरोप–पत्र रिमांड की पहली तिथि से 60–70 दिनों के अंदर अदालत में जमा हो जाती है? *द.प्र.सं.–1973 की धारा–436ए और 167*

क्षण
त्र

प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली

समीक्षा समितियां: क्या समीक्षा समिति नियमित रूप से बैठक करती है? क्या उसकी संस्तुतियां रिकॉर्ड की जाती हैं? क्या कैदियों, जिनके नामों की संस्तुति की गई है, को रिहा किया जा रहा है? क्या समिति जाति, लिंग, धर्म, परिस्थिति और राष्ट्रीयता से अलग सभी कैदियों के मामलों का अध्ययन करती है? *सरकारी आदेश सं. –एफ/8/22/गृह–12/कारा/79*

पैरोल बोर्ड: क्या पैरोल बोर्ड नियमित रूप से बैठक करता है? क्या बोर्ड जाति, लिंग, धर्म, परिस्थिति और राष्ट्रीयता से अलग सभी कैदियों की दलीलों का अध्ययन करता है? बोर्ड की पिछली बैठक कब हुई थी? *कारागार अधिनियम की धारा–5(अ), (ब) और 59 तथा राज्य जेल नियमावली के संगत प्रावधान*

सलाहकार बोर्ड(सजा में माफी): क्या बोर्ड नियमित रूप से बैठक करता है? क्या सजा में कमी कैदियों के आचरण और कार्य के आधार पर किया जाता है? *भारतीय संविधान का अनुच्छेद–72 और 161 तथा द.प्र.सं. –1973 की धारा–432, 433 व 433ए*

मुलाकाती बोर्ड: क्या बोर्ड का गठन किया गया है? क्या बोर्ड के सदस्य निर्धारित मानकों के अनुसार बैठक करते हैं? *कारागार अधिनियम की धारा–59 और राज्य जेल नियमावली के संगत प्रावधान*

विधिक सेवा प्राधिकरण: क्या डीएलएसए के प्रतिनिधि नियमित रूप से मुआयना करते है? क्या विधिक सेवा एवं कैदियों की सहायता से सम्भंदित सूचना के लिए रजिस्टर बनाई जाती है ? क्या डीएलएसए द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की जाने की सूचना कैदी तक पहुचाई जाती है ?

चिकित्सकीय सेवाएं

दवाएं: क्या दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं? क्या उनका ठीक ढंग से भंडारण किया जाता है? क्या वे उपभोग के लिए उपयुक्त होती हैं?

एम्बुलेंस: क्या कारागार के पास अपना खुद की एम्बुलेंस है? यदि नहीं तो क्या यह आसानी से उपलब्ध है? क्या प्रत्येक कारागार के लिए एम्बुलेंस की संख्या उनकी जरूरत के अनुसार है? क्या वे कार्यरत हालत में हैं?

क्या चिकित्सकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पुलिस रक्षक दल अलग से उपलब्ध कराये जाते हैं?

चिकित्साधिकारी: क्या पर्याप्त संख्या में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की गई है? क्या चिकित्साधिकारी रात में उपलब्ध होते हैं? क्या महिला कैदियों के लिए विशेष चिकित्सक हैं? क्या वे निर्धारित मानकों के अनुसार कारागार आते हैं? यदि नहीं तो उनके दौरों का समय और क्रम क्या है? चिकित्साधिकारी पिछली बार कब कारागार में आए थे? क्या वे उच्चाधिकारियों को रपट करते हैं? *कारागार अधिनियम का अध्याय–VIII और धारा–13, 14; राज्य जेल नियमावली के संगत प्रावधान तथा कैदियों के उपचार पर संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमावली का नियम–26*

चिकित्सकीय जांच: क्या कारागार में प्रवेश के समय प्रत्येक कैदियों की चिकित्सकीय जांच होती है? क्या वे निर्धारित मानकों के अनुसार सूचनाओं को दर्ज करते हैं? *कैदियों के उपचार पर संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमावली का नियम–31*

टीकाकरण: क्या कैदियों का टीकाकरण समय से किया जाता है? क्या इस प्रकार के टीकाकरण को दर्ज करने की व्यवस्था है?

मानसिक स्वास्थ्य: क्या मनोचिकित्सक नियुक्त किये गये हैं? क्या मांग के अनुपात में ऐसे मनोचिकित्सकों की नियुक्ति हुई है? क्या वे नियमित रूप से कारागार आते हैं? *मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम–1987 की धारा–27 और 39; राज्य जेल नियमावली के संगत प्रावधान*

पंजिका एवं दस्तावेज

हिस्ट्री टिकट

क्या प्रत्येक विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों का विवरण रखा जा रहा है?

क्या सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं और उन्हें अपडेट किया जाता है? *कारागार अधिनियम की धारा–3 और 59 तथा राज्य जेल नियमावली के संगत प्रावधान*

प्रवेश, दण्ड, राजस्व, रपट, सजायाफ्ता कैदियों की कार्य, पेशी पंजिका

क्या जेल प्रशासन से सम्भंदित सारी अहम घटनायें प्रतिदिन अंकित की जातीं है ? क्या प्रत्येक श्रमिक बंदी का स्वास्थ अंकित किया जाता है ?

अधिकार, कर्तव्य एवं कार्रवाई

अशासकीय संदर्शक

मुलाकात के पहले	मुलाकात के दौरान	मुलाकात के बाद
पहली मुलाकात • पदाधिकारियों के स्तरों और उनके उत्तरदायित्वों की पहचान करना • कारागार जनसांख्यिकी, क्षमता, भीड़, बोले जाने वाली भाषा, ज्ञात मुद्दो, खतरों और मीडिया रिपोर्टों पर उपलब्ध सभी सूचनाओं का संग्रहण करना • एनओवी साथियों से संपर्क करना • कानूनी ढांचे का ज्ञान, विशेषकर राज्य जेल नियमावली, अधिसूचना, गृह मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श एवं दिशा–निर्देश • परीक्षण सूचना या प्रश्नावली तैयार करना • महत्वपूर्ण और उपयुक्त प्रशासकों तथा कैदियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों का संपर्क विवरण इकट्ठा करना **पहली मुलाकात के पश्चात** • इकट्ठा करना केंद्रित और सर्वोत्तम प्रभाव के लिए पिछले दौरे के विवरण को दोहराना	• साथी मुलाकातियों के साथ संयुक्त मुलाकात करना • कारागार के कर्मचारियों और कैदियों को अपना परिचय देना • निगरानी कार्य के उद्देश्यों को स्पष्ट करना • निगरानी कार्य की सीमाओं को बतलाना • कारागार जनसांख्यिकी, क्षमता और भीड़ पर अद्यतन सूचना की गुजारिश करना • हिरासत स्थितियों, समस्याओं, परीक्षण और उनके समाधान पर कारागार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की राय जानना • सूचना के स्रोतों जैसे पंजिकाओं, मुलाकाती पुस्तिका, कर्मचारियों की सूची, आंतरिक नियमावली एवं संचालन प्रक्रिया, कार्यरत कर्मचारी, आदि पर जानकारी इकट्ठा करना • कारागार की संरचना और नक्शा का समीक्षा करना • कारागार की सभी कोठरियों, बैरकों, सभागारों, बागीचों, रसोईघर, कारखाना, प्रांगणों, अस्पताल और स्नानागारों का पता लगाना • कारागार की दशा, कैदी उपचार और केस प्रबंधन के बीच समय का संतुलित विभाजन • पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए कैदियों के उपचार का परीक्षण करना • कमजोर समूहों और व्यक्तियों की पहचान करना • अन्य मुलाकातियों के बीच परीक्षण का क्षेत्र आबंटित करना • पूछताछ/शिकायत की प्रकृति पर आधारित कैदियों का निजी अथवा समूह साक्षात्कार करना • कैदियों, खासकर जिनके परिवार या अधिवक्ता मिलने नहीं आते हैं, की सामाजिक–कानूनी जरूरतों को पहचानना • अदालत में सुनवाई शुरू होने से पूर्व कारागार में आने वाले नवागंतुकों से यह समझने के लिए बातचीत करना कि क्या उनकी चिकित्सकीय जांच सही ढंग से की गई थी • कैदियों के पारिवारिक जुड़ाव को पुनर्बहाल करना, उदाहरण के लिए गिरफ्तारी के बारे में परिवार को सूचित करना • साक्षात्कार से मिली जानकारी को संक्षेप में दर्ज करना • कारागार के अधिकारियों के सामने सवाल/परीक्षण/शिकायत को रखना, उनका विचार जानना और उनका सुझाव लेना • पूछताछ/परीक्षण/शिकायत के सार का दस्तावेज तैयार करना और मुलाकाती पुस्तिका में भागीदारी कर संभावित समाधान और कार्रवाई की संस्तुति करना	• मुलाकाती बोर्ड, जिलाधिकारी और परिक्षेत्र के डीआईजी को मुलाकाती पुस्तिका में लिखी टिप्पणी को अग्रसारित करना • संचार को बढ़ाने और उनकी मुलाकातों को सरल बनाने के लिए कैदी के परिवार को लिखना • भवन के निर्माण और उनकी मरम्मत से संबंधित मसलों पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से संपर्क करना • चिकित्सकीय सेवाओं की कमी, भोजन, पानी की गुणवत्ता और टीकाकरण से जुड़े मामले में जन स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करना • कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व का अभाव से संबंधित मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करना • विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक हिरासत में रखने के मामले में संबंधित न्यायालय और समय–समय पर गठित समीक्षा समितियों से संपर्क करना • पुलिस सचल दस्तों और वाहनों की कमी के लिए पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना • मुमकीन रोजगार के अवसरों के लिए आजीवका निगम और सेवायोजन विभाग से संपर्क करना • रोजगार के अवसरों और सामाजिक रूप से हितकारी सहयोग को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट्स के गैर–सरकारी संगठनों और उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) विभाग के साथ संपर्क करना और समन्वय बैठाना • यातना की किसी घटना की जानकारी मुलाकातियों के बोर्ड, कारागार के मुखिया, राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला जज एवं जिलाधिकारी को देना • विदेशी नागरिकता वाले कैदियों की अनावश्यक अथवा लंबे हिरासत के मामले में संबंधित दूतावास को लिखना • बजट आबंटन के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय को लिखना • MLA को लोकल एरिया फण्ड में बंदी कल्याण में योगदान करने के लिए लिखना

राज्य मानवाधिकार संस्थाएं

मुलाकात के पहले	मुलाकात के दौरान	मुलाकात के बाद
• स्वायत्तशासी संस्थाओं जैसे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) और संबंधित मुद्दों को मजबूती से उठाने वाले गैर–सरकारी संस्थाएं, की पिछली निरीक्षण रपटों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना • संबंधित मुद्दों के लिए पिछला बजट आबंटन और कारागार विभाग द्वारा इसके इस्तेमाल के विवरण को मंगवाना और इसका अध्ययन करना • कारागार सुधार के मुद्दों से संबंधित उच्चतम न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णयों की सूची तैयार करना तथा विशेष आदेशों का अध्ययन करना • कारागार में कार्यरत कर्मचारियों की पृष्ठभूमि और रिक्तियों का अध्ययन करना • कमजोर समूहों की पहचान करना • प्रश्नावली बनाना अथवा अदालती आदेशों और संबंधित क्षेत्रों पर आधारित सूची के साथ पिछली ऑडिट या निरीक्षण रपटों की जांच करना • निरीक्षण की अवधि के साथ कारागार प्रबंधन, कैदी उपचार एवं केस प्रबंधन से जुड़े मसलों के बीच समय विभाजन की रणनीति तैयार करना • यदि आवश्यक हो तो कई विषयों पर निष्कर्ष को सुनिश्चित करने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना	• कारागार, 'ज्यों का त्यों' और श्अपने सबसे अच्छी स्थिति मेंश नहीं है, का परीक्षण का परीक्षण करने के लिए अघोषित दौरा करना • स्वतंत्र एवं विश्वास बहाली को ध्यान में रखते हुए कैदियों के सामने खुद को पेश करना • मुलाकाती पुस्तिका का परीक्षण करना और संबंधित मुद्दों को उठाना • जेल कर्मचारियों द्वारा की गई किसी प्रकार की ज्यादतियों, जैसे सजा का तरीका, एकांत कारावास, लंबी कार्य अवधि, सबक सिखाने के लिए साथी कैदियों या जेल कर्मचारियों द्वारा समुचित बल प्रयोग एवं शारीरिक या लैंगिक दुर्व्यवहार आदि, को जानने के लिए कैदियों से बातचीत करना • यदि आवश्यक हुआ तो दूसरे अधिकारियों की सूनने के अलावा दूसरे कैदियों के साथ बात करके बयान की पुष्टि करना • जेल कर्मचारियों के सामने अपनी समीक्षा को प्रस्तुत करना और यदि संभव हो तो घटना की तुरंत जांच करना	• सुरक्षात्मक एवं प्रतिक्रियाशील जांच की जरूरतों के आधार पर मुद्दों को विभाजित करना • सुरक्षात्मक जांच के लिए जरूरी मुद्दों पर प्राधिकारियों के साथ रचनात्मक वार्ता स्थापित करना • प्रतिक्रियाशील जांच के लिए जरूरी मुद्दों पर प्राधिकारियों से कारण मांगना • यदि संबंधि विषय पर कोई मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट है तो उसका परीक्षण करना • कैदियों के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाना • अनुपालन एवं कार्यवाही की जांच के लिए प्रतिवेदक को भेजना

अधिकार, कर्तव्य एवं कार्रवाई

विधानसभा या संसद के सदस्यगण

मुलाकात के पहले	मुलाकात के दौरान	मुलाकात के बाद
• कारागार जनसांख्यिकी, क्षमता, भीड़, भाषा, मुद्दों और आसन्न खतरों पर सभी उपलब्ध सूचनाओं को इकट्ठा करना • कारागार के कामकाज और कैदियों के उपचार का नियमन करने वाले वर्तमान घरेलू कानूनों एवं अंतराष्ट्रीय मानकों अथवा उनके मसौदे का अध्ययन करना	• विधि एवं नीति में बदलाव के आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान देना • विधि एवं नीति में बदलाव के लिए जरूरी मसलों पर कैदियों और जेल कर्मचाारियों का साक्ष्य इकट्ठा करना • संबंधित मसलों पर मुमकिन समाधान पर जेल के अधिकारियों से बातचीत करना • विभिन्न बोर्डों और समितियों आदि द्वारा कारागारों में की गई बैठकों के विवरण का अध्ययन करना • बोर्डों और समितियों की संस्तुतियों का अनुपालन की जानकारी हासिल करना • मुमकीन समाधान के साथ चुनिंदा मुद्दों का सार दर्ज करना	• परीक्षणों के सार का मसौदा तैयार करना तथा मानकों में चूक के लिए जिम्मेदार कारकों को छांटना • गृह विभाग और कारागार विभाग को व्यावहारिक समाधान के साथ परीक्षणों का सार भेजना • मुलाकाती के तौर पर अपने अनुभव की पुष्टि करते हुए कारागार से संबंधित मुद्दों, लागू एवं लंबित कानून और उसकी प्रक्रिया पर टिप्पणी करना • जन भावनाओं को बढ़ाने के लिए कारागार से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना • कारागार के हालात में सुधार के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का इस्तेमाल करना

मजिस्ट्रेट एवं न्यायधीश

मुलाकात के पहले	मुलाकात के दौरान	मुलाकात के बाद
• कारागार सुधार से जुड़े मसलों पर न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करना • हिरासत में मौतों (प्राकृतिक और अप्राकृतिक) के इतिहास, रिक्तियों, भीड़, मानसिक रूप से बीमार (विक्षिप्त) कैदियों की संख्या, विदेशी नागरिकों और महिलाओं तथा वित्तीय आबंटन पर कारागार से सूचना मांगना	• कारागार, 'ज्यों का त्यों' है और 'अपने सबसे अच्छे हालात में' नहीं है, का परीक्षण करने के लिए अघोषित दौरा करना • मुलाकातियों की पिछली निरीक्षण रपटों का अध्ययन करना • भ्रष्टाचार, यातना, अमानवीय व्यवहार, अनावश्यक हिरासत और हिरासत में मौत की शिकायतों; तथा जमानत, पैरोल एवं सजा में छूट के लिए कैदियों के आवेदनों को प्राथमिकता देना, खासकर उनकी, जिनके मामलों की सुनवाई शुरू नहीं हुई और जिन्हें सजा नहीं हुई है • विधिवक्ता की गुणवत्ता को आंकना • कैदियों के उपचार पर एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए दोषी अधिकारियों और अर्द्ध–कानूनी स्वयंसेवकों के साथ बातचीत करना • शिकायत निवारण/शिकायत बॉक्स का परीक्षण करना • उन शिकायतों पर जेल कर्मचारी की प्रतिक्रिया और उसके द्वारा की गई कार्रवाई का जानना • तथ्यों पर उद्देश्यपरक दृष्टिकोण हासिल करने के लिए पंजिकाओं को जांचना • बोर्डों, समितियों आदि द्वारा कारागार में की गई बैठकों के मिनट्स का परीक्षण करना • उन बोर्डों और समितियों आदि की किसी भी संस्तुतियों के अनुपालन पर जेल स्टाफ से संपर्क करना • यदि आवश्यक हो तो जनसुनवाई करना तथा कैदियों और कर्मचारियों, दोनों से प्रस्तुतिकरण लेना • मध्यस्थता एवं उपचारात्मक कार्रवाई द्वारा मुद्दों का समाधान करना तथा विफलता की स्थिति में अन्य किसी व्यक्ति की सहायता लेना	• परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं के सार तैयार करना • संस्तुतियों के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामने सार को प्रस्तुत करना • प्रशासन की विफलता और चूक की न्यायिक समीक्षा करना • अपराधिक न्याय प्रणाली में भूमिका अदा करने वाले लोगों के साथ बैठक बुलाना • कानूनी सहायता की स्थिति और प्रतिनिधित्व के बारे में डीएलएसए एवं एसएलएसए को लिखना

शासकीय दर्शक

मुलाकात के पहले	मुलाकात के दौरान	मुलाकात के बाद
• कैदियों के दरख्वास्त और शिकायत प्रक्रिया की समीक्षा करना • आंतरिक और बाहरी निरीक्षणों के महत्व के बारे में जानकारी हासिल करना • उन क्षेत्रों को उपलब्ध वित्तीय आबंटन का अध्ययन करना जो आपके दफ्तर से सीधे जुड़ें हैं या उनके अनुरूप हैं • अपने दफ्तर से संबंधित सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता और रखरखाव का आंकलन करने के लिए जांच सूची तैयार करना	• उन क्षेत्रों पर ध्यान देना जो आपके दफ्तर के अनुरूप हैं या सीधे जुड़े हैं • कर्तव्य के प्रभावशाली निर्वहन के लिए जेल कर्मचारियों को तकनीकी सलाह मुहैया कराना • कैदियों को जेल कर्मचारियों द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं की गुणवत्तापरक आकलन करना • अपने दफ्तर की सेवाओं और उत्पादों से संबंधित पंजिकाओं और दस्तावेजों का परीक्षण करना • मुलाकाती पंजिका में अपने परीक्षणों और उनके समाधानों को दर्ज करना	• जेल कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन की चुनौतियों और बाधाओं की पहचान और विश्लेषण करना • संचालित अल्पावधि और दीर्घावधि वाले उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की सूची बनाते हुए रणनीति का दस्तावेज तैयार करना • लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार जांच करना • अनुपालन, निगरानी एवं तीसरे स्वरूप की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज के लोगों के साथ जुड़े रहना • पेशेवर विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र से जुड़ी उनकी क्षमता के निर्माण द्वारा जेल कर्मचारियों की आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना